भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3423
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की अनुशंसाएं

3423. श्री सचिदानन्दम आर. :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास उच्च न्यायालय में 19 न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की अनुशंसाएं प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक अनुशंसा की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इन नियुक्तियों के अनुमोदन एवं अधिसूचना जारी करने में विलंब, यदि हुआ है, के क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, जिसे 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित 28 अक्टूबर, 1998 के उनके सलाहकार मत (तृतीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किया गया था। एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने का दायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने का दायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जो उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श से किया जाता है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति उत्पन्न होने से कम से कम 6 माह पूर्व सिफारिशें प्रस्तुत

की जाती हैं। तथापि, इस समय सीमा का शायद ही कभी पालन किया जाता है । उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकार के विचार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर विचार करते समय सरकार के पास विचाराधीन नामों से संबंधित उपलब्ध ऐसी अन्य रिपोर्टों को भी ध्यान में रखा जाता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को परामर्श के लिए भेजी जाती हैं।

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम उच्चतम न्यायालय द्वारा सिफारिश किए जाते हैं।
